न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 39/2014 (उदयपुर आर्डर)

1. गोपाल पिता रामलाल जी पटेल, निवासी डेरी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती आशा पत्नी गोपाल जी पटेल, निवासी डेरी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उदयपुर।
2. सहायकअभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भूराजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर उदयपुर दिनांक 03-11-2010 क्रमांक प.12/3(218)राज./आब./110/2659

———/———

उपस्थित :– 1– श्री के.एल. चोर्डिया अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री शरद चन्द्र अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, 2
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 09–10–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2659 दिनांक 03–11–2010 से ग्राम डेरी की आराजी नंबर 2427, 2432 व 2433 रकबा क्रमशः 0.05, 2.55, 0.42 हैक्टर में से क्रमशः 0.05, 0.28 एवं 0.17 कुल किता 3 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि 33/11 के.वी. सब स्टेशन निर्माण हेतु राजस्थान भू–राजस्व

अधिनियम 1956 की धारा 102 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13–10–2005 में उल्लेखित निबन्धन एवं शर्तो के अनुसार कीमतन आवंटित की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 07–08–2014 को पेश की गयी है।

अपील के साथ दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि को अपीलान्ट द्वारा प्राप्त करने हेतु सन् 2005 से ही प्रार्थना पत्र बराबर उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा में पेश किये जाते रहे थे इस पर माननीय न्यायालय एडवाजरी कमेटी द्वारा अपीलान्टगण को दिनांक 18–02–2013 को मौजा डेरी की आराजी संख्या 2433 में 0.60 एयर भूमि का आवंटन अपीलान्टगण का कब्जा होने से किया गया। अपीलान्ट अपने पिता के समय से लगभग 50 वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है तथा उक्त भूमि पर मवेशी आदि रख डेयरी का संचालन का अपनी जीविका चला रहे थे। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होकर ओक्युपाईड लैण्ड थी तथा पटवारी हल्का के रेकार्ड में अपीलान्टगण का नाम अंकित होने के तथ्य अंकित हैं। अतएवं उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

प्रकरण में सर्वप्रथम इस दफा 96 जा.दी. के आवेदन का निर्णय किया जाना वांछनीय हैं प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित आराजी नंबर 2426, 2432 व 2433 पर अपने कब्जे को लेकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया है कि आराजी नंबर 2433 में से 0.06 एयर भूमि उसे दिनांक 18–02–2013 को आवंटित की गयी है। अर्थात प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट को आवंटित भूमि विपक्षी/ रेस्पोन्डेन्ट को आवंटित भूमि ही हो, ऐसी कोई साक्ष्य रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट आता है कि आराजी नंबर 2433 का कुल रकबा 0.42 हैक्टर है, जबकि विपक्षी को इसमें से मात्र 0.17 हैक्टर भूमि ही आवंटित की गयी है। यदि अपीलान्ट को उक्त भूमि में से 0.06 एयर भूमि का आवंटन किया गया है तथा शेष भूमि पर भी यदि वह काबिज है, तो बतौर अतिक्रमी काबिज है और राजकीय भूमि पर अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है। अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा स्वयं पेनाल्टी की रसीदे प्रस्तुत की गयी है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त पर उसका अतिक्रमण होकर उसे बेदखल किया गया है तथा उसका निरन्तर कब्जा होने की कोई साक्ष्य नहीं है। भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ विपक्षी विद्युत विभाग को आवंटित की गयी

है, जिसमें अपीलान्टगण की कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है। अतएवं उसे आवश्यक, हितबद्ध एवं प्रभावित नहीं माना जा सकता।

अतएवं प्रार्थी/अपीलान्ट का दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03–11–2010 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर